

न्यायालय अति० जिला कलक्टर एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट झालावाड़
पीठासीन अधिकारी भवानीसिंह पालावत, आर०ए०एस०

प्रकरण सं० 21/अपील/18

तारीख दायरा 08.01.18

गिरधारी आ० गेंदीलाल जाति माली निवासी पीपल्दी तहसील अकलेरा

बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार अकलेरा

अपील बनाराजी आदेश तहसीलदार अकलेरा दिनांक 21.11.17 मि०न० 3182/17

उपरिथत:- श्री श्याम सुन्दर II अभिभाषक अपीलान्त

--: निर्णय ::--

दिनांक: 29.01.2018

अपीलान्त ने यह अपील जयें अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अकलेरा के निर्णय दिनांक 21.11.17 जिसके द्वारा अपीलान्त को ग्राम पीपल्दी की आराजी ख०न० 175 की 1 बिस्वा भूमि पर अतिक्रमी मानकर 2 रूपये अर्थदण्ड व 60 दिन के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किये जाने से अप्रसन्न होकर पेश की है। अपील में निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध संग्रहसार के विपरित होने से निरस्तनीय है—अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त की अनुपस्थिति में जो एक तरफा निर्णय पारित किया है वह कानून के विपरित होने से निरस्तनीय है—जबकि अपीलान्त द्वारा जुर्माना राशि भी जमा करा दी गई है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त किया जावे।

अपील सबजेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। योग्य वकील अपीलान्त ने अपनी बहस में अपील मेमो की पुष्टी करते हुये आगे व्यक्त किया कि अपीलान्त द्वारा प्रश्नगत भूमि पर से कब्जा हटा दिया गया है इस बाबत पटवारी की रिपोर्ट पत्रावली में उपलब्ध है। अपीलान्त का अब राजकीय भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है। अपीलान्त द्वारा पेनल्टी राशि जमा करा दी है—भविष्य में राजकीय भूमि पर अपीलान्त एवं उसके परिवार जन द्वारा अतिक्रमण नहीं किया जावेगा। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.11.17 निरस्त किया जाकर अपीलान्त को राहत प्रदान की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर गौर किया। पत्रावली में उपलब्ध पटवारी की रिपोर्ट 11.12.17 से स्पष्ट है कि अपीलान्त द्वारा प्रश्नगत आराजी पर से अतिक्रमण हटा लिया गया है। वकील अपीलान्त द्वारा भविष्य में फिर से अतिक्रमण नहीं करने बाबत अश्वस्त किया गया है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। तहसीलदार अकलेरा वकील अपीलान्त द्वारा कहे गये कथनों का सत्यापन कर लें। यदि अपीलान्त का वादग्रस्त आराजी पर किसी भी प्रकार का कब्जा नहीं है तो सिविल कारावास में छूट दी जाती है, लेकिन बेदखली और शास्ति की सजा यथावत रहेगी और यदि अपीलान्त द्वारा मौके से कब्जा नहीं हटाया गया है तो सिविल कारावास में दी गई छूट स्वतः समाप्त हो जायेगी, जिसके लिए पृथक से आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी। पत्रावली फैसला शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर की जावे। निर्णय आज दिनांक 29.01.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानीसिंह पालावत)
अति० जिला कलक्टर एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़
राजस्थान (राज०)